

॥ मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 ॥

‘सबके लिए आवास’



आर्थिक रूप से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लिए
पंजीकरण योजना- 2015

इंडियन ऑयल के पीछे, सी.एच.एम.ओ. ऑफिस 3rd फेस के पास,
इंडस्ट्रियल एरिया, भीनमाल रोड, जालौर

सुखद जीवनशैली की बेहतरीन परिभाषा!

मुख्य विशेषताएं

- भूकम्प रोधी संरचना
- पर्याप्त पार्किंग स्पेस
- बच्चों के खेलने के लिये पार्क
- कम्युनिटी हॉल
- वर्षा जल संवयन प्रणाली
- सीढ़ियों में पोलिश युक्त कोटा स्टोन/मार्बल
- हवा तथा रेशनी से युक्त प्लैट एवं कॉमन एरियाज
- मानदंडों के अनुसार पार्किंग
- अंडर ग्राउंड व ओवरहैड पानी की टंकी
- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
- मानदंडों के अनुसार ग्रीन एरिया
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट निर्धारित स्थान
- प्रत्येक ब्लॉक में उच्च गुणवत्ता वाली लिफ्ट्स
- किराना/मेडिकल स्टोर व अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु निर्धारित

आंतरिक विशेषताएं

- बालकनी तथा रसोई में एंटी स्किड टाइल्स
- बेडरूम तथा हॉल में टाइल्स
- टॉयलेट्स में अच्छी गुणवत्ता की टाइल्स
- बाथरूम व रसोई में बेहतरीन फिटिंग
- एम. एस. आयरन की खिड़कियां
- इनेमल पेंटेड प्लश डोर्स
- रसोई में सिंक व काउंटर
- शौचालयों में ओडिशा पान / यूरोपियन डबल्यू सी
- भीतरी व बाहरी दीवारों पर उच्च गुणवत्ता का पेंट



बेहतरीन परियोजना की बेहतरीन विशेषताएं!

- जालौर की सबसे विकासशील लोकेशन पर स्थित
- जालौर की आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप प्रोजेक्ट
- राजस्थान के प्रमुख आर्किटेक्ट द्वारा प्रोजेक्ट प्लानिंग
- उच्चतम गुणवत्ता, तकनीक, शैली व क्वालिटी वस्तुओं द्वारा निर्माण
- बच्चों के खेलने व बड़ों के टहलने हेतु उपयुक्त पार्क
- न्यूनतम वेस्टेज एरिया व बेहतरीन ब्लॉक प्लानिंग
- सुचारु आंतरिक सड़क प्लानिंग



मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

1. फ्लैट खरीदने के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लाभार्थी को बैंक से आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध है।
2. उक्त योजना के फ्लैटों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तर्गत, ब्याज सब्सिडी (6,00,000 रुपये तक के लोन पर), आवेदक के लोन खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB/HUDCO) द्वारा की जायेगी।
3. उक्त योजना के फ्लैट खरीदने से आवेदक के धन, समय व श्रम की बचत होती है एवं निर्माण के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है।
4. कम्पनी द्वारा निर्मित फ्लैटों का डिजाईन, अनुभवी वास्तुकारों द्वारा बनाया जाता है तथा निर्माण अनुभवी अभियन्ताओं की देख-रेख में बनाया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं एवं वातावरण का ध्यान रखा जाता है।
5. कम्पनी के फ्लैट मंहगी प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद उक्त योजना में सस्ते उपलब्ध कराये जाते हैं।
6. स्टाम्प ड्यूटी (E.W.S. फ्लैट एवं L.I.G. फ्लैट के लिये) की न्यूनतम राशि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं निर्धारित दरों पर देय होगी।

होम लोन के लिए जरूरी कागजात

नौकरीपेशा के लिए

- आधार कार्ड व पेन कार्ड
- पिछले 3 माह की वेतन पर्ची
- पिछला फार्म 16 या आयकर विवरण
- पिछले एक साल का बचत खाता
- बैंक स्टेटमेंट या पासबुक
- बैंक का आवेदन पत्र मय हस्ताक्षर
- प्रक्रिया शुल्क चैक

व्यवसायी और पेशेवर के लिए

- आधार कार्ड व पेन कार्ड
- पिछले 3 साल का आयकर विवरण
- पिछले एक साल का बचत और चालू खाता
- बैंक स्टेटमेंट या पासबुक
- बैंक का आवेदन पत्र मय हस्ताक्षर
- प्रक्रिया शुल्क चैक



अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी.

LLP Identification No. AAL-1555

पंजीयन योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर

व

अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के लिये

आवेदन पत्र जांच सूची

1. जिस आय वर्ग के लिये आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार पंजीयन की पूर्ण राशि का ☐
चैक / डी.डी. जो कि अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी. के पक्ष में जालौर स्थित किसी भी
बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।
 2. आय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न कर दिया है। ☐
 3. आवेदन पत्र पूर्ण भर दिया है एवं जो भी सूचना मांगी गयी है सभी पूर्ण कर दी है। ☐
 4. प्रत्येक आवेदक की पहचान के लिये आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड / राशन कार्ड / ☐
भामाशाह कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पेन कार्ड इत्यादि की स्व-सत्यापित प्रति लगा दी है।
 5. परियोजना के अनुमोदन सम्बन्धित दस्तावेजों से पूर्णतया संतुष्ट हैं ☐
 6. यदि आवेदक फ्लैट कय हेतु गृह ऋण चाहता है तो निम्न दस्तावेज संलग्न करें:-
- आय प्रमाण पत्र
 - मूल निवास प्रमाण पत्र
 - आधार कार्ड
 - मतदाता पहचान पत्र
 - 6 माह का बैंक स्टेटमेंट
 - एवं अन्य जरूरी दस्तावेज

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

आवेदन फार्म



मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

आवेदन पत्र (आवेदक)

प्रोजेक्ट व शहर का नाम: अरावली होम्स, जालौर

पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी

EWS

11

LIG

11

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :
2. पिता /पति का नाम :
3. जन्म तिथि :/...../.....
4. राष्ट्रीयता :
5. वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर) :
6. स्थायी पता :

7. दूरभाष/मोबाइल नं. :
8. वर्तमान (पत्र व्यवहार) पता :

स्वयं का किराये का कम्पनी का अन्य

अगर किराये का है तो मासिक किराया:

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 9. | शैक्षणिक योग्यता | : | |
| 10. | विकलांगता | : | |
| 11. | ई-मेल | : | |
| 12. | व्यवसाय का स्वरूप (नौकरी/व्यवसाय/अन्य) | : | |
| 13. | संस्था का नाम | : | |
| 14. | संस्था का प्रकार | : | |
| | (साझेदारी/प्रोपराईटर/पब्लिक लि./ प्रा लि./गर्वमेंट/पीएसयू/अन्य) | : | |
| 15. | पद | : | |
| 16. | ऑफिस का पता | : | |

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

17. आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय :
1. स्वयं की :
 2. पति/पत्नी की :
 3. आश्रित की :
 4. अन्य स्रोतों से आय :
18. पैन कार्ड संख्या :
19. आश्रितों की संख्या :
20. आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड :
- मतदाता पहचान पत्र
21. पंजीकरण विवरण : चैक डिमांड ड्राफ्ट
- राशि :
- चैक/डी.डी. संख्या एवं दिनांक :
- बैंक का नाम एवं शाखा :
22. आवेदक के खाते का प्रकार (चालू/बचत) :
- बैंक का विवरण**
- खाता संख्या :
- बैंक का नाम :
- शहर का नाम :
- बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड (IFSC Code) :
- (जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है)
23. विभिन्न बैंकों से वर्तमान में बकाया ऋण :
- का विवरण (अगर कोई है)
24. ऋण आवश्यकता की राशि :
25. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें:
1. पंजीयन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट / चैक
 2. आवेदक का स्व-सत्यापित पहचान सम्बन्धी आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
 3. आय प्रमाण पत्र
 4. मूल निवास प्रमाण पत्र
 5. अन्य प्रमाण पत्र जो आवश्यक हो।

मेरे द्वारा इंडियन ऑयल के पीछे, सी.एच.एम.ओ. ऑफिस 3rd फ्लोर के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, भीनमाल रोड़, जालौर स्थित आवासीय योजना – अरावली होम्स, जालौर की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज का भली-भांति परीक्षण कर लिया है, मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ।

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के संलग्न आवंटन एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिये बाध्य हूँ।
3. मेरा/मेरे पति/पत्नी या मेरे आश्रित का प्रदेश के किसी हिस्से में पूर्णतया अथवा भाग रूप में फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नहीं है।
4. मेरी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम क्रम में निर्देशित करता/करती हूँ:-

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.			
2.			

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

विकासकर्ता/फर्म द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या

दिनांक

संलग्न दस्तावेजों की सूची -

- 1.
- 2.
- 3.

हस्ताक्षर आवेदन निरीक्षक

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी



मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

आवेदन पत्र (सह-आवेदक)

प्रोजेक्ट व शहर का नाम: अरावली होम्स, जालौर

पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी

EWS

Page 10 of 10

LIG

10

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :
2. पिता /पति का नाम :
3. जन्म तिथि :/...../.....
4. राष्ट्रीयता :
5. वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर) :
6. स्थायी पता :

7. दूरभाष/मोबाइल नं. :
8. वर्तमान (पत्र व्यवहार) पता :

स्वयं का किराये का कम्पनी का अन्य

अगर किराये का है तो मासिक किराया:

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| 9. | शैक्षणिक योग्यता | : | |
| 10. | विकलांगता | : | |
| 11. | ई-मेल | : | |
| 12. | व्यवसाय का स्वरूप (नौकरी/व्यवसाय/अन्य) | : | |
| 13. | संस्था का नाम | : | |
| 14. | संस्था का प्रकार | : | |
| | (साझेदारी/प्रोपराईटर/पब्लिक लि./
प्रा लि./गर्वमेंट/पीएसयू/अन्य) | : | |
| 15. | पद | : | |
| 16. | ऑफिस का पता | : | |

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

17. पैन कार्ड संख्या :
18. आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड :
मतदाता पहचान पत्र
19. पंजीकरण विवरण : चैक डिमांड ड्राफ्ट
राशि
चैक/डी.डी. संख्या एवं दिनांक
बैंक का नाम एवं शाखा
20. आवेदक के खाते का प्रकार (चालू/बचत) :
बैंक का विवरण
खाता संख्या
बैंक का नाम
शहर का नाम
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड (IFSC Code)
(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है)
21. विभिन्न बैंकों से वर्तमान में बकाया ऋण :
का विवरण (अगर कोई है)
22. ऋण आवश्यकता की राशि :
23. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें:
1. पंजीयन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट / चैक
 2. आवेदक का स्व-सत्यापित पहचान सम्बन्धी आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
 3. आय प्रमाण पत्र
 4. मूल निवास प्रमाण पत्र
 5. अन्य प्रमाण पत्र जो आवश्यक हो।

मेरे द्वारा इंडियन ऑयल के पीछे, सी.एच.एम.ओ. ऑफिस 3rd फेस के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, भीनमाल रोड़, जालौर स्थित आवासीय योजना – अरावली होम्स, जालौर की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज का भली-भांति परीक्षण कर लिया है, मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ।

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के संलग्न आवंटन एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिये बाध्य हूँ।
3. मेरा/मेरे पति/पत्नी या मेरे आश्रित का प्रदेश के किसी हिस्से में पूर्णतया अथवा भाग रूप में फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नहीं है।
4. मेरी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम क्रम में निर्देशित करता/करती हूँ:-

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
1.			
2.			

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

विकासकर्ता/फर्म द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या

दिनांक

संलग्न दस्तावेजों की सूची -

- 1.
- 2.
- 3.

हस्ताक्षर आवेदन निरीक्षक

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

आवंटन के नियम एवं शर्तें

1. आवेदक/सह-आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक के स्वयं, पत्नी या किसी आश्रित सदस्य (जिसमें अविवाहित बच्चे शामिल हैं) के नाम पर कोई लीज होल्ड या फ्री होल्ड फ्लैट, आवास या भूमि प्रदेश के किसी क्षेत्र में न हो। इस बाबत आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रस्तावित योजना में संस्था/कम्पनी/एल.एल.पी/साझेदारी के नाम से भरा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के समय कथित का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। योग्यता सूची में नाम अंकित होने के पश्चात स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिये गये वर्तमान पते को पत्र व्यवहार के लिये उचित माना जायेगा और उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन होने की स्थिति में सूचित करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी, और अगर वह सूचित नहीं करता है तो मांग सूचना पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो कि पंजीकृत पते पर डाक से भेजा है को वैध सेवा माना जायेगा। संयुक्त आवेदकों की स्थिति में प्रथम आवेदक द्वारा दिये गये पत्राचार के पते पर ही पत्र व्यवहार किया जायेगा।
6. आवेदन पत्र को केवल आवेदक/सह-आवेदक ही हस्ताक्षरित करेगा।
7. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है इसीलिए आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदन पत्र पर स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
8. आवेदक इस तथ्य से अवगत है कि यह आवेदन, आवेदनकर्ता द्वारा योजना में फ्लैट/यूनिट का आवंटन हेतु किया गया निवेदन मात्र है। डॉ/आवंटन के लिए केवल उन आवेदनों को माना जायेगा जो कि हर तरह से पूर्ण हैं और जो इस आवेदन पत्र एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के मापदण्डों को पूर्ण करें।
9. आवेदनकर्ता द्वारा किये गये आवेदन को इस आवेदन पत्र एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में दिये गये दिशा-निर्देश से जांचा जायेगा। केवल वे ही आवेदक लॉटरी/आवंटन के लिये मान्य होंगे जो इस आवेदन पत्र एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में दिये गये दिशा-निर्देश को पूर्ण करेंगे। जांच के पश्चात कम्पनी अपनी वेबसाइट www.aravalihomes.com एवं/या समाचार पत्र के द्वारा डॉ/आवंटन की तिथि एवं समय घोषित करेगी।
10. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में वर्णित नियम एवं शर्तें, पात्रता, मापदण्ड, दिशा निर्देश आदि आवेदनकर्ता पर बाध्य होंगे।

11. आवेदक दम्पति एवं उनके आश्रितों की वार्षिक आय निम्नलिखित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आय वर्ग	अधिकतम वार्षिक आय (रु में)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS)	3,00,000 रु. तक
अल्प आय वर्ग (LIG)	3,00,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु तक

12. वेतनभोगी आवेदको को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर वेतनभोगी (स्व रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/म्युनिसिपल ऑफिसर/एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित आय एवं निवास प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र द्वारा जो नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो प्रस्तुत करना होगा।
13. आय वर्गानुसार परिवार में पति, पत्नी एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
14. वार्षिक आय (पति/पत्नी/आश्रितों की आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिये पात्रता एवं आय वर्ग तथा कीमत नीचे तालिका में दर्शाई गयी है।

क्र. सं.	आय वर्ग	सकल वार्षिक आय रुपये में (वर्तमान में)	आवेदन के समय जमा करवाये जाने वाला पंजीकरण राशि	फ्लैट निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट) का लगभग	अनुमानित लागत रूपयों में	आवंटन होने पर (लगभग)
1.	EWS	रु 3,00,000 तक	रु 40,000	405	रु 8,51,000	रु 45,000
2.	LIG	रु 3,00,001 से रु 6,00,000 तक	रु 60,000	607	रु 12,71,000	रु 65,000

GST एवं अन्य सरकारी कर व शुल्क दिये गए मूल्य के अतिरिक्त एवं प्रत्येक किश्त के साथ ग्राहक द्वारा देय होंगे।

15. एक आवेदक उपर्युक्त में से एक ही वर्ग में (आय वर्ग के अनुसार) एक ही आवास के लिए आवेदन कर सकता है।
16. आवेदक, भारतवर्ष में चल रही विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छिपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आयेगा तो एक आवास स्वयं/स्वतः निरस्त योग्य रहेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।
17. पंजीकरण/आवंटन कम्पनी द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों और उप-बन्धों के तहत होगा।
18. इस योजना के अंतर्गत आवंटित मकान का कब्जा प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर आवेदक को उसमें निवास करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची में से किसी अन्य आवेदक को आवंटित कर दिया जाएगा।

19. आवंटी फ्लैट को आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक बेच नहीं सकता। अगर 10 वर्ष के अन्तराल में बेचा गया तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची में से किसी अन्य आवेदक को आवंटित कर दिया जाएगा।
20. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं के प्रयोग तथा रख रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसायटी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सोसायटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं आवंटी को सोसायटी के रखरखाव हेतु निर्धारित मासिक शुल्क देना होगा। इस संदर्भ में आवेदनकर्ता को आवास का कब्जा लेते समय शपथ पत्र देना होगा। हर आवंटी को परियोजना के रख रखाव के लिए 50 रुपये (पचास रुपये) प्रति वर्ग फीट की दर से सोसायटी के कार्पस फंड के लिये, फ्लैट का कब्जा लेते वक्त देना होगा, जो कि फ्लैट की कीमत के अतिरिक्त होगा। उक्त कार्पस फंड सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
21. आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग फ्लैट के लिए रजिस्ट्री के लिए नियमानुसार मुद्रांक देय होगा। जो कि समय-समय पर सरकार के निर्देशानुसार/नियमानुसार प्रचलित दर पर देय होगी। आवंटित आवास के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र/लीज डीड के पंजीयन हेतु समस्त खर्चा आवंटी द्वारा आवास की कीमत के अतिरिक्त वहन किया जायेगा।
22. अगर कम्पनी परियोजना/परियोजना भूमि के लिए बीमा करवाती है तो हर आवंटी को उस बीमा में अपने फ्लैट के क्षेत्रफल के अनुरूप राशि देनी होगी।
23. आवेदनकर्ताओं की पात्रता आंकने के लिए कम्पनी प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी। तथा आवश्यकतानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कराई गई लाटरी से फ्लैटों का आवंटन होगा। सफल आवेदकों को सूचना डाक/कम्पनी वेबसाइट **www.aravalihomes.com** के माध्यम से दी जायेगी।
24. **रिफण्ड –**
- a. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि और प्रशासनिक शुल्क की राशि बिना ब्याज के लाटरी के 30 दिन के भीतर लौटा दी जायेगी।
- b. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लाटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन वापस लेता है तो 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि की कटौती करते हुए शेष पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- c. यदि कम्पनी द्वारा आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी भी कारण, जैसे कमी/चूक/अधूरा प्रपत्र/पात्रता की कमी/आवेदन पत्र व मुख्यमंत्री आवास योजना-2015 के नियमों का उल्लंघन आदि की वजह से अस्वीकार किया जाता है, तो 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि की कटौती करते हुए शेष पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- d. फ्लैट के आवंटन के पश्चात् यदि आवेदक अपना आवंटन निरस्त करवाना चाहता है तो उसे आवंटन की दिनांक

से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त आवंटन निरस्त करवाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य रहेगा। फ्लैट के निरस्तीकरण की स्थिति में कम्पनी द्वारा जमा राशि में से 20 प्रतिशत कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। यदि आवेदक द्वारा 30 दिवस के भीतर निरस्तीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं किया गया तो भविष्य में फ्लैट निरस्तीकरण संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन व दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

- e. यदि विकासकर्ता कम्पनी आवेदक द्वारा तथ्यों/सूचनाओं के गलत प्रस्तुतिकरण के कारण आवंटन निरस्त करती है तो कम्पनी द्वारा जमा राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी।
- f. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।

- 25. इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का आवंटन मिलने के पश्चात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा मांगे जाने पर समस्त करो का भुगतान फ्लैट की राशि के अतिरिक्त करना होगा जैसे जी.एस.टी., आवास सम्पत्ति कर, नगर-निगम कर, शहरी जमाबन्दी, विकास कर, इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
- 26. यदि आवेदक इस प्रपत्र के वर्णित किसी भी राशि का भुगतान उल्लेखित तिथि पर नहीं करता है तो कम्पनी उस किस्त/राशि पर ब्याज @ 15% लेने का अधिकार रखती है। अगर आवेदक भुगतान तिथि के 30 दिन तक भी भुगतान नहीं करता है, तो कम्पनी के पास आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 27. इन नियम एवं शर्तों एवं विक्रय अनुबन्ध(यदि आवेदक एवं कम्पनी के मध्य निष्पादित होता है) के अनुसार आवेदक द्वारा देय समस्त राशि की प्राप्ति के पश्चात और इकाई/योजना के पूर्ण विकसित होते ही, कम्पनी पजेशन लेटर जारी करेगी और पजेशन लेटर जारी करने के 7 दिन बाद इकाई का कब्जा आवेदक को दे दिया जायेगा एवं विक्रय विलेख को निष्पादन करने के पश्चात, विलेख को आवेदक के नाम पर पंजीकृत करा दिया जायेगा।
- 28. उक्त योजना को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में दी गयी समयावधि में पूरा किया जायेगा। यदि किसी भी दैविक कार्य जैसे की प्राकृतिक आपदाओं के कारण, न्यायालय के स्थगन आदेश या अन्य यथा निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उक्त परिसर का निर्माण एवं विकास कार्य किये जाने में अवरोध एवं बाधा होने के कारण देरी होती है तो उक्त योजना में उसी अनुपात में उतनी देरी होना सम्भव होगा। यदि संबंधित अथॉरिटी द्वारा योजना को पूरा करने की समयावधि बढ़ा दी जाती है, तो उक्त योजना को बढ़ाई गयी समयावधि तक पूरा किया जायेगा।
- 29. राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि-आवृत्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि योजना की भूमि को अवाप्त कर लिया जाता है तो आवेदक को उसकी समस्त राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- 30. इस आवेदन पत्र की शर्तों के अलावा ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/कमिटमेन्ट लागू नहीं होगा।
- 31. ब्याज सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रायोजित है जो कि आवेदक की प्रोफाईल एवं योग्यता पर निर्भर करती है जो की भारत सरकार द्वारा समय-समय पर एवं नियमानुसार आवंटी के खाते में जमा की जायेगी, इसमें विकासकर्ता / बिल्डर/विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं आवेदक द्वारा बैंक की कार्यवाही स्वयं के स्तर पर करनी होगी। अगर सरकार ऋण की नियम एवं शर्तों में बदलाव करती है तो कंपनी/विक्रेता का उसमें

कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है और आंवटी का फ्लैट खरीदने का दायित्व उसके ऋण मिलने या नहीं मिलने पर आश्रित नहीं रहेगा।

32. राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी/स्थानीय निकाय/सक्षम अधिकारी आदि द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
33. आवेदक उक्त योजना एवं योजना भूमि की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित एवं संतुष्ट है अतः आवेदक को बाद में किसी आगामी चरण पर योजना या योजना भूमि के सम्बन्ध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
34. भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी पॉलिसी, एक्ट और नियमों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो आवेदक उसके लिये बाध्य होगा।
35. आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/मुख्याराम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में अंकित शर्तों की पालना करने हेतु बाध्य होंगे।
36. कम्पनी इस परियोजना को भवन नक्शा योजना के अनुरूप बना रही है जो कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अनुसार है। अगर इस योजना के किसी अंश का बदलाव करना अनिवार्य हो जाता है तो उस बदलाव को उपयुक्त नियमों के अनुसार किया जावेगा एवं आंवटी की उसके लिए शर्त रहित सहमति है एवं ऐसे बदलाव के कारण आंवटी फ्लैट का क्षेत्रफल घटता है तो घटने वाले क्षेत्र के अनुरूप उसकी राशि लौटा दी जायेगी एवं यदि आंवटी फ्लैट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो बढ़े हुए क्षेत्र के अनुरूप उसकी राशि का भुगतान आवेदक को करना होगा।
37. पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र के साथ डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से करना होगा जो कि इस नाम में **अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी.** पर देय है। डिमांड ड्रॉफ्ट का विवरण आवेदन पत्र में उल्लेखित करना होगा। किसी भी प्रकार का कोई नकद लेन-देन नहीं होगा।
38. आवेदन पत्र मय संलग्न वांछित दस्तावेज को कम्पनी के जालौर स्थित कार्यालय :- फर्स्ट फ्लोर, विश्वकर्मा भवन, हॉस्पिटल रोड, जालौर (राजस्थान) पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख से पहले आवेदक को स्वयं या कोरियर/ डाक के माध्यम से भिजवाना होगा। अगर आवेदन पत्र अंतिम तारीख तारीख के पश्चात प्राप्त होता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
39. कम्पनी और सफल आवेदकों के मध्य विक्रय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
40. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं के पहचान एवं निवास के पते का प्रमाण यथा आधार/भामाशाह पत्र/मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक तथा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज (आवश्यक दस्तावेजों की) एक-एक स्व हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

41. आवेदक पुष्टि करता है कि आवेदक द्वारा इस आवेदन पत्र के अनुसार दी गई जानकारी सही है एवं आवंटन प्राप्त करने के लिये दिये गये दस्तावेज विश्वस्त एवं वास्तविक है। यदि आवेदक द्वारा आवंटन प्राप्त करने के लिये दी गई जानकारी या शपथ पत्र/दस्तावेज या प्रतिनिधित्व गलत पायी/पाया जाता है जैसे PAN नम्बर का गलत बताना या किसी भी समय महत्वपूर्ण तथ्य दबाना, तब कम्पनी के पास आवेदक को किया गया आवंटन निरस्त करके आवेदक द्वारा कम्पनी को दी गई समस्त राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
42. आवेदक इस योजना पर लागू होने वाले सभी नियमों, कानूनों, अधिनियमों, अधिसूचनाओं एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के दिशा-निर्देश आदि का पालना करेगा एवं उनसे बाध्य रहेगा।
43. आवेदनकर्ता का किसी भी बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है एवं आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस. सी कोड का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि असफल आवेदको को पंजीकरण राशि वापिस की जा सके, अन्यथा पंजीकरण राशि आवेदक के खाते में वापस नहीं आने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी/होगा।
44. यदि आवेदक अपना आवंटन स्वयं निरस्त करता है या कम्पनी इन नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करती है तो उस आवेदक के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किसी अन्य आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है। इसके पश्चात प्रथम आवेदक जिसका आवंटन निरस्त कर दिया गया है का उस फ्लैट में कोई भी अधिकार नहीं होगा।
45. आवेदक इस बात की पुष्टि करता है कि उसने इस आवेदन पत्र के प्रत्येक खण्ड को समझ लिया है एवं इन खण्डों से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व और कम्पनी के कर्तव्य एवं सीमाओं को समझ लिया है। आवेदक कम्पनी, प्रतिनिधि, एजेंट, को इस आवेदन पत्र के किसी भी शर्त के न पालन करने से होने वाले नुकसान से क्षतिपूरित एवं हानि रहित रखेगा।
46. इस आवेदन पत्र से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों का एकमात्र क्षेत्राधिकार जयपुर न्यायालय/प्राधिकारी के पास होगा।

मैं/हम इस बात का वचन देता हूँ/देते हैं कि उपर लिखित नियम एवं शर्तों की पालना करेंगे और यह घोषित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी, हमारे ज्ञान एवं भरोसे के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है या हम भुगतान करने में चूक कर देते हैं, तब कम्पनी पंजीकरण/बुकिंग निरस्त कर सकती है एवं इस आवेदन पत्र के नियमों के अनुसार किये गये भुगतान को अपने स्वविवेक से जब्त कर सकती है।

दिनांक

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

लोन एवं सब्सिडी

1. कम्पनी से फ्लैट लेने वाले आंवटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबन्ध जारी किये जावेंगे।
2. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार ऋण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो भी कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के नियमानुसार पात्र होंगे।
3. मुख्यमंत्री आवास योजना 2015 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमानुसार (EWS)/(LIG) के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि रु. 6,00,000/- (छ लाख रुपये) पर ही ब्याज अनुदान देय होगा, रु. 6,00,000/- (छह लाख रुपये) से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी अर्थात् 6,00,000/- (छह लाख रुपये) से अधिक का ऋण गैर सब्सिडी दर पर मिलेगा। ऋण अनुदान की गणना NPV (Net present value) के आधार पर होगी।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना की CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) की सहायता से लिया गया फ्लैट, परिवार की किसी महिला-मुखिया के नाम पर हो अथवा परिवार के किसी पुरुष मुखिया और उसकी पत्नि के संयुक्त नाम पर हो। यदि किसी परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है तो फ्लैट उसी परिवार के किसी पुरुष-मुखिया के नाम पर होगा।
5. आंवटन पत्र के आधार पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बैंकों के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) के अन्तर्गत अधिकतम रुपये 6,00,000/- (छह लाख रुपये) की राशि अनुदानित ब्याज दर पर मुहैया करवाया जावेगा।
6. ऋण आधारित सब्सिडी ऋण दाताओं के सस्थानों के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से जमा होंगी, जिससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्त (ई.एम.आई) में कमी आएगी।
7. आवेदक द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त न करने की स्थिति में स्वयं के स्रोतों से फ्लैट की सम्पूर्ण देय राशि कम्पनी द्वारा जारी आंवटन पत्र में निर्धारित तिथि अनुसार जमा करानी होगी।

Note:- ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है एवं उपरोक्त प्रदान कि गयी जानकारी, आवेदको को केवल सूचना देने के लिए है। आवेदको को ऋण देने के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। अगर सरकार ऋण की नियम एवं शर्तों में बदलाव करती है तो कंपनी का उसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है और आंवटी का फ्लैट खरीदने का दायित्व उसके ऋण मिलने या नहीं मिलने पर आश्रित नहीं रहेगा।

आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सह-आवेदक
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

शपथ - पत्र (1)

सभी आवेदकों के लिए

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
जाति हाल निवास तहसील जिला
में शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ।

- राज्य सरकार की "मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015" के अन्तर्गत **अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी.** की आवासीय परियोजना को भलिभांति जानकर, पढ़ कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र **EWS** ☐ / **LIG** ☐ आय वर्ग आवास हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करता / करती हूँ कि :-
- पारदर्शिता के आधार पर कम्पनी **अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी.** द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।
- मेरे / हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा।
- यह कि आवास आवंटित होने पर पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।
- मेरे/हमारे द्वारा आवास आवंटन के मद में जमा करवाई गई राशि का उपयोग संबंधित बैंक शाखा एवं विकासकर्ता के मध्य हुए समझौता पत्र की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, इसके लिए बैंक द्वारा मेरे/हमारे से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे को बैंक ऋण नहीं लेने अथवा मिलने पर मेरे/हमारे द्वारा समस्त राशि की समय-समय पर व्यवस्था कर ली जावेगी।
- मैं/हम स्वीकार करते हैं कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना चयनित भूमि पर, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत सस्ती दरों में आवास आवंटित किये जाते हैं जिसके लिए बैंक एवं विकासकर्ता के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित होना है चूंकि इस समझौता पत्र के तहत विकासकर्ता को दी जाने वाली आवास निर्माण की लागत समझौता शर्तों के अनुसार निश्चित समयावधि में दी जानी है, जो कि मेरे/हमारे संबंधित बैंक शाखा खाता से ली जाकर विकासकर्ता को अदा की जावेगी। इस पूर्ण प्रक्रिया में मेरे/हमारे बैंक खाता को संबंधित बैंक द्वारा एग्रीमेन्ट की शर्त के अधीन उपयोग में लाये जाने पर मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और ना ही संबंधित बैंक से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्लेम की मांग की जावेगी
- अगर आवश्यकतानुसार संबंधित बैंक शाखा द्वारा मेरे/हमारे द्वारा लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ-पत्र को एग्रीमेन्ट का भाग बनाया जाता है तो मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
- मेरे/ हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे / हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन / आरक्षण / मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
- यह कि मैंने पंजीकरण, 2017 में **EWS** ☐ / **LIG** ☐ आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन - पत्र संख्या के द्वारा आवेदन किया है।
- यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे फ्लैट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे फ्लैट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- यह कि उक्त आवेदन - पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् कम्पनी द्वारा समय-समय पर आवास से सम्बन्धित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो कम्पनी को बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- यह है कि मेरे स्वयं की गलती के कारण कम्पनी द्वारा उक्त पंजीकरण / आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

(आवेदक व सह-आवेदक के हस्ताक्षर)

(नोटरीईड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर
नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ – पत्र (2)

सभी आवेदकों के लिए

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

सशपथ प्रमाण करता / करती हूँ कि—

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ एवं राजस्थान का/की मूल निवासी हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास प्रदेश में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशित फ्लैट/भूखण्ड नहीं है।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं **अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी.** द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी।
5. यह कि मेरे द्वारा स्थित कम्पनी की योजना में भी आवेदन किया गया है यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा/लूंगी।

शपथग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई तथ्या छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(नोटरीड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ – पत्र (2)

सभी आवेदकों के लिए

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

सशपथ प्रमाण करता / करती हूँ कि—

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ एवं राजस्थान का/की मूल निवासी हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास प्रदेश में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशित फ्लैट/भूखण्ड नहीं है।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं **अरावली होम डवलपर्स एल.एल.पी.**, द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी।
5. यह कि मेरे द्वारा स्थित कम्पनी की योजना में भी आवेदन किया गया है यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा/लूंगी।

शपथग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

निवासी सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई तथ्या छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(नोटरीड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

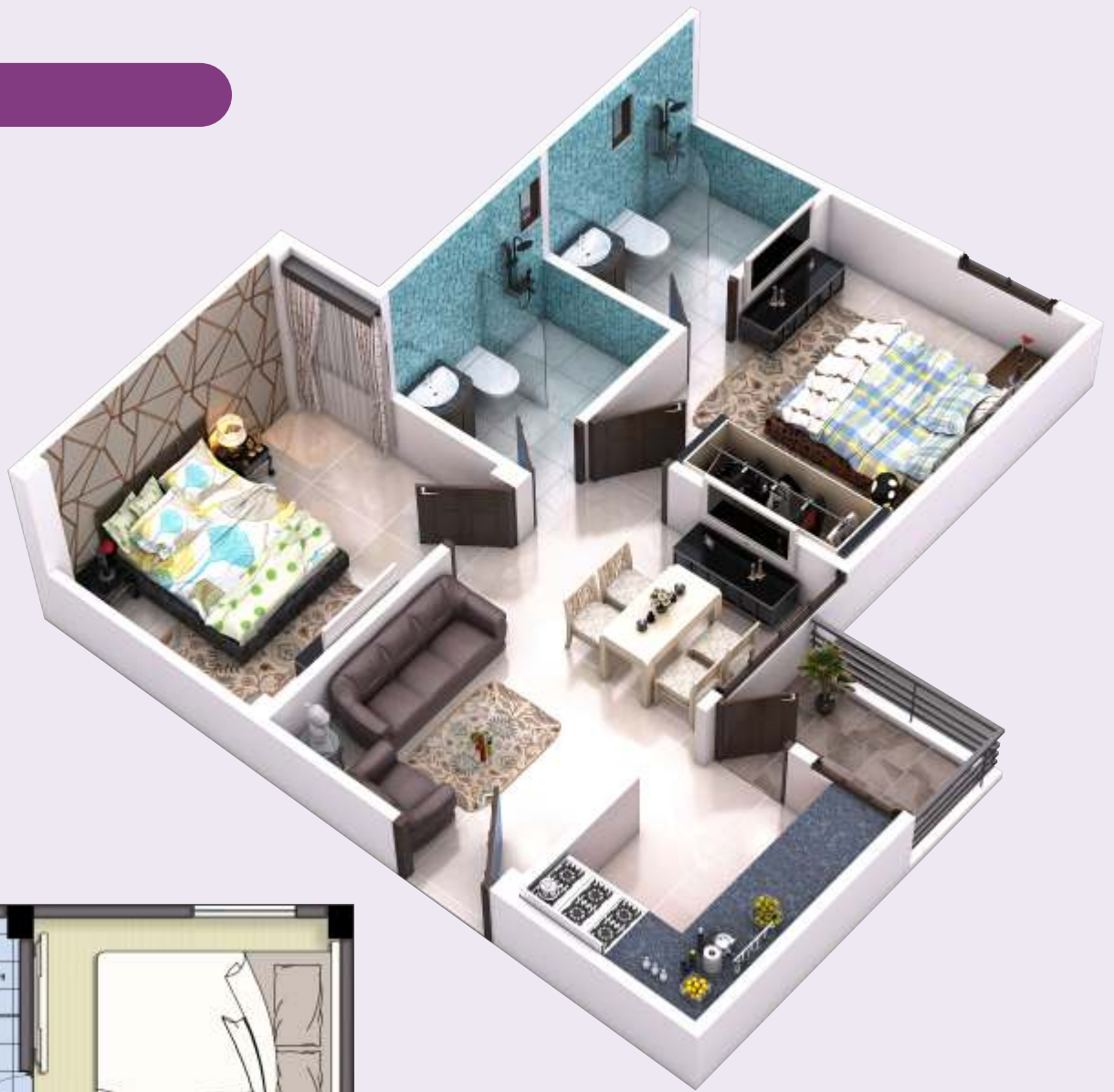


**EWS
FLOOR
PLAN**

CARPET AREA : 450.95 Sq.ft.
BUILT-UP AREA : 590.32 Sq.ft.
SALEABLE AREA : 575.00 Sq.ft.



LIG FLOOR PLAN



CARPET AREA : 450.95 Sq.ft.
BUILT-UP AREA : 590.32 Sq.ft.
SALEABLE AREA : 575.00 Sq.ft.



Location Map

(Map Not to Scale)



लोकेशन की विशेषताएँ

सभी आधारभूत सुविधाएं मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित
R.T.O.ऑफिस के पास एवं C.H.M.O.ऑफिस के सामने
सरकारी अस्पताल व सरकारी दफ्तरों के समीप स्थित
सभी प्रमुख राजमार्गों से बेहतरीन कनेक्टिविटी

अरावली ड्रीमवर्ल्ड एल.एल.पी.

जालौर स्थित कार्यालय :- फर्स्ट फ्लोर, विश्वकर्मा भवन, हॉस्पिटल रोड, जालौर
जयपुर ऑफिस: जे-17, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे, नेहरू सहकार मार्ग, लाल कोठी स्कीम, जयपुर, फोन: 0141-2740395-96
sales@aravalihomes.com | फार्म डाउनलोड करने के लिए www.aravalihomes.com पर लॉग-इन करें।

 **90240 44666**

Disclaimer : This leaflet is purely conceptual & not a legal offering. Further the promoters/ Architect reserves the right to add/delete/modify any details/specification/elevation mentioned.